संख्या- 20 /2022/479जेएल/22-3-2022-100(82)/2015टीसी

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 02 मई, 2022*

विषय- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी खान मुबारक पुत्र स्व0 रजी आलम को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-36885/सामा-1(3)/लखनऊ/2020, दिनांक 26-11-2021 के क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टॉस्क फोर्स, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-सीए/एडीजी-एसटीएफ-06(10)/2022, दिनांक 21-04-2022 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अंतर्गत केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी खान मुबारक पुत्र स्व0 रजी आलम को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, महराजगंज में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-20 /2022/479जेएल(1)/22-3-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
4- अपर पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टॉस्क फोर्स, उ0प्र0, लखनऊ को उनके संदर्भगत पत्र दिनांक 21-04-2022 के संदर्भ में।
5- जिला मजिस्ट्रेट, फरूर्खाबाद/महराजगंज।
6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फरूर्खाबाद/ महराजगंज।
7- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ से जिला कारागार, महराजगंज में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
8- अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in